

कार्यालय जिला रसद अधिकारी, जालोर

क्रमांक : रसद / FPS / विज्ञप्ति / 2025 / 5864

दिनांक - 16/06/25

:: विज्ञप्ति 01 / 2025 ::

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत जिले में कुल 59 रिक्त एवं नवसृजित उचित मूल्य दुकानों के लिए इच्छुक एवं पात्र व्यक्तियों/संस्थाओं से राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश, 1976 के खण्ड 3(1) के तहत प्राधिकार पत्र जारी किये जाने हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित करने का निर्णय लिया गया है।

इस हेतु विभागीय दिशा-निर्देश क्रमांक एफ 17 (1) खा.वि./विधि/08 दिनांक 17.03.2016, एफ.17(16)खा.वि./विधि(न्याय)/2011 दिनांक 26.12.2019 एवं क्रमांक एफ.17 (5)खा.वि./न्याय/महि.आर./2019 दिनांक 25.11.2020 के अंतर्गत जिला रसद कार्यालय जालोर से सशुल्क आवेदन पत्र दिनांक 18.06.2025 से प्राप्त किये जाकर जमा करवाने की अंतिम दिनांक 17.07.2025 (सायं 06.00 बजे) तक निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र आवश्यक दस्तावेजों के साथ जमा करवाये जा सकेंगे।

जालोर जिले में रिक्त एवं नवसृजित उचित मूल्य दुकानें निम्नानुसार हैं-

क्र. सं.	उचित मूल्य दुकान का विवरण						आरक्षित / अनारक्षित
	तहसील	ग्रामीण / शहरी	क्र. सं.	मुख्यालय	ग्राम पंचायत	FPS Code	
1	सायला	ग्रामीण	1	तेजा की बेरी	तेजा की बेरी	552	अनारक्षित
2			2	पोषाणा	पोषाणा	561	महिला आरक्षित
3			3	सायला	सायला	567	अनारक्षित
4			4	देताकलां	देताकलां	583	महिला आरक्षित
5			5	मोकनीखेडा	वालेरा	584	अनारक्षित
6			6	बालवाडा	बालवाडा	नवसृजित	महिला आरक्षित
7			7	मांडवला	मांडवला	नवसृजित	महिला आरक्षित
8			8	कोमता	कोमता	नवसृजित	अनारक्षित
9			9	ऐलाना	ऐलाना	नवसृजित	अनारक्षित
10			10	बावतरा	बावतरा	नवसृजित	अनारक्षित
11	आहोर	ग्रामीण	1	डोडियाली	डोडियाली	663	महिला आरक्षित
12			2	वेडिया	वेडिया	665	अनारक्षित
13			3	सनवाडा	चरली	686	अनारक्षित
14			4	कोटडा	अजीतपुरा	11928	अनारक्षित
15			5	छांगाडी	वेडिया	नवसृजित	अनारक्षित
16		शहरी	1	आहोर	आहोर	नवसृजित	अनारक्षित
17	भीनमाल	ग्रामीण	1	भीमपुरा	बोरटा	758	महिला आरक्षित
18			2	खेडा बोरटा	बोरटा	759	अनारक्षित
19			3	कोटकास्तान	कोटकास्तान	769	अनारक्षित
20			4	मुथलाकाबा	भरुडी	नवसृजित	अनारक्षित
21		शहरी	1	भीनमाल शहर	भीनमाल शहर	19937	अनारक्षित

Aror

कार्यालय जिला रसद अधिकारी, जालोर

22			2	भीनमाल शहर	भीनमाल शहर	19949	अनारक्षित
23			3	भीनमाल शहर	भीनमाल शहर	19952	अनारक्षित
24			4	भीनमाल शहर	भीनमाल शहर	19956	महिला आरक्षित
25			5	भीनमाल शहर	भीनमाल शहर	29737	अनारक्षित
26			1	चांदना	सिकवाडा	845	अनारक्षित
27			2	पंसेरी	पंसेरी	848	अनारक्षित
28			3	मणधर	पावली	850	महिला आरक्षित
29			4	पावटी	डोरडा	865	अनारक्षित
30	जसवंतपुरा	ग्रामीण	5	गजीपुरा	गजीपुरा	877	महिला आरक्षित
31			6	चेकला	दांतलावास	15515	अनारक्षित
32			7	राजीकावास	राजीकावास	859	अनारक्षित
33			8	तातोल	तातोल	871	महिला आरक्षित
34			9	पावली	पावली	849	अनारक्षित
35	चितलवाना	ग्रामीण	1	डूंगरी	डूंगरी	967	अनारक्षित
36			2	खिरोडी	खिरोडी	999	अनारक्षित
37			1	बावरला	बावरला	891	महिला आरक्षित
38			2	कोड	कोड	895	अनारक्षित
39	सांचोर	ग्रामीण	3	लियादरा	बिजरोल	903	अनारक्षित
40			4	दांता	दांता	970	अनारक्षित
41			5	सांगडवा	सांगडवा	13466	महिला आरक्षित
42			6	वोढा	वोढा	26029	अनारक्षित
43			1	जैतपुरा	धामसीन	1016	अनारक्षित
44			2	धानोल	धानोल	1017	अनारक्षित
45	रानीवाडा	ग्रामीण	3	सिलासन	सिलासन	1041	अनारक्षित
46			4	हीरपुरा	गांग	1080	महिला आरक्षित
47			5	चितरोडी	चितरोडी	27057	महिला आरक्षित
48			6	दांतवाडा	दांतवाडा	नवमृजित	अनारक्षित
49			1	आडवाडा	डूडसी	732	अनारक्षित
50	जालोर	ग्रामीण	2	बागरा	बागरा	नवमृजित	महिला आरक्षित
51			3	सियाणा	सियाणा	नवमृजित	अनारक्षित
52	बागोडा	ग्रामीण	1	मेडा ब्राह्मणान्	कुका	771	महिला आरक्षित
53			2	देवदा का गोतिया	मोरसीम	773	अनारक्षित

For

कार्यालय जिला रसद अधिकारी, जालोर

54		3	वाडाभाडवी -II	वाडाभाडवी	807	अनारक्षित
55		4	छाजाला	सोवडावास	821	महिला आरक्षित
56		5	चेनपुरा	चेनपुरा	27503	अनारक्षित
57		6	नांदिया	नांदिया	26038	अनारक्षित
58		7	कलरो व लुहारो की ढाणी	राह	नवमृजित	अनारक्षित
59		8	जेरण	जेरण	नवमृजित	महिला आरक्षित

उचित मूल्य दुकानों के आवंटन हेतु आवेदन से संबंधित दिशा-निर्देश

आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में होगा, जिस पर आवेदनकर्ता का रंगीन नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो तथा दो फोटो अलग से आवेदन के साथ संलग्न कर प्रस्तुत करना होगा। आवेदन पत्र केवल जिला रसद कार्यालय जालोर से जारी किये जायेंगे। अन्य किसी स्थान यथा टाईपिस्ट, नोटेरी स्टोर से प्राप्त किये गये आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे। एक आवेदन पत्र का मूल्य 100/- रुपये निर्धारित है जो जिला रसद अधिकारी, जालोर के नाम से आवेदन पत्र प्राप्त करने से पूर्व ई-चालान के जरिये 1475-00-800-04-01 मद में जमा कराया जाकर जमा रसीद प्रस्तुत किए जाने पर प्राप्त किये जा सकेंगे।

1. उचित मूल्य दुकान आवंटन के लिए अनिवार्य शैक्षणिक योग्यताएं एवं अन्य अर्हताएँ-

(i)

A. शहरी क्षेत्र की उचित मूल्य दुकान हेतु आवेदक के मामले में आवेदक उसी वार्ड का निवासी होना चाहिए, जिस वार्ड के उपभोक्ताओं को राशन सामग्री वितरण करनी है, अर्थात् उस उचित मूल्य दुकान की अधिकारिता क्षेत्र में स्थित वार्डों में से किसी एक वार्ड का निवासी होना चाहिए।

ग्रामीण क्षेत्र की उचित मूल्य दुकान के मामले में आवेदक उसी पंचायत के किसी भी ग्राम या वार्ड का निवासी होना आवश्यक है, जिस पंचायत में उचित मूल्य दुकान स्थित है। एक से अधिक योग्य आवेदन पत्रों के प्राप्त होने की स्थिति में वरीयता उसी वार्ड के निवासी को दी जायेगी जिसमें उचित मूल्य की दुकान स्थित है।

उचित मूल्य दुकान के क्षेत्र में निवासी होने के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र स्वरूप राशन कार्ड/वोटर लिस्ट/मूल निवास प्रमाण-पत्र/निर्वाचन आयोग का परिचय पत्र/आधार कार्ड/जनआधार कार्ड में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत किया जा सकेगा। शहरी क्षेत्र में निवास के संबंध में वर्तमान में नये वार्ड की निर्वाचन नामावली एवं राशनकार्ड में आवेदक का नाम दर्ज होना आवश्यक है।

B. उचित मूल्य दुकान हेतु सभी श्रेणी के आवेदकों की आयु 21 वर्ष से 45 वर्ष तक होनी चाहिए अर्थात् उचित मूल्य दुकान के आवेदन पत्र प्राप्त करने की अन्तिम तिथि को आवेदक की आयु 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये।

उम्र के प्रमाण हेतु जन्म प्रमाण-पत्र/राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अथवा केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अथवा केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान द्वारा जारी 10वीं की अंक-तालिका/प्रमाण पत्र जिसमें जन्म तिथि अंकित हो या

Good

कार्यालय जिला रसद अधिकारी, जालोर

पासपोर्ट /मतदाता पहचान पत्र/ड्राइविंग लाइसेंस/आधार कार्ड/पैन कार्ड में से किसी एक की स्वप्रमाणित प्रति प्रस्तुत की जा सकती है।

- (ii) आवेदक की शैक्षणिक योग्यता स्नातक उत्तीर्ण एवं कम्प्यूटर में Rajasthan Knowledge Corporation Limited(RKCL) या अन्य समकक्ष सरकारी संस्थान का तीन माह का आधारभूत प्रशिक्षण होना चाहिए। यदि उचित मूल्य दुकानों के आवेदकों में कोई भी आवेदक स्नातक स्तर की योग्यता नहीं रखता है, तो ऐसी स्थिति में 12वीं कक्षा उत्तीर्ण आवेदकों के प्रार्थना पत्रों को भी आवंटन हेतु स्वीकार किया जावेगा। यदि आवेदक कम्प्यूटर में प्रशिक्षण प्राप्त नहीं है तो आवेदन के साथ आवेदक यह शपथ-पत्र देगा कि वह चयनित होने के 08 माह की अवधि में प्रशिक्षण प्राप्त कर लेगा व ऐसे चयनित व्यक्तियों को प्रशिक्षण प्राप्ति के बाद ही प्राधिकार पत्र दिया जायेगा। आवेदक,समितियां/समूह/निकाय होने पर सम्बन्धित सचिव/प्रबन्धक को कम्प्यूटर दक्षता एवं शैक्षणिक योग्यताओं को पूर्ण करना अनिवार्य होगा। इस बाबत प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
- (iii) आवेदक को अन्नपूर्णा भण्डार हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्ड पूर्ण करने होंगे। यदि आवेदन पहले से ही अन्नपूर्णा भण्डार के मापदण्डों को पूर्ण करता है, तो उसकी पुष्टि में दुकान का नक्शा-स्वामित्व-किरायानामा आदि से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। जो आवेदक आवेदन के समय अन्नपूर्णा भण्डार के मापदण्डों को पूर्ण नहीं करते हैं उन्हें छः माह में मापदण्ड पूर्ण किये जाने का घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा। विशेष परिस्थितियों में ही मापदण्ड पूर्णता अवधि राज्य सरकार/जिला कलक्टर द्वारा अधिकतम छः माह बढ़ाई जा सकेगी। यदि घोषणा पत्र के अनुसार प्राधिकृत होने पर मापदण्ड पूर्ण नहीं किये जाते हैं, तो प्राधिकार पत्र निरस्त किया जा सकेगा।
- (iv) उचित मूल्य दुकान हेतु आवेदन करने वाले पुरुष/महिला के दिनांक 01.01.2025 के बाद पैदा हुई सन्तान सहित दो से अधिक संतान नहीं होनी चाहिए। निर्धारित तिथि पश्चात् दो से अधिक संतान होने की स्थिति में कोई भी व्यक्ति आवेदन का पात्र नहीं होगा। उचित मूल्य दुकान आवंटन होने के पश्चात् भी यदि किसी उचित मूल्य दुकानदार के तीसरी संतान होती है तो ऐसे उचित मूल्य दुकानदार का प्राधिकार पत्र निरस्तनीय होगा, परन्तु किसी आवेदक के दिनांक 31.12.2014 को एक ही संतान है तथा पश्चातवर्ती किसी एकल प्रसव से एक से अधिक संतान पैदा हो जाती है, तो संतानों की गणना करते समय इस प्रकार एक प्रसव से पैदा हुई संतानों को एक इकाई ही समझा जाए।
- (v) आवेदक को आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में भरकर तथा समस्त आवश्यक कॉलम की पूर्ति करते हुए एवं आवेदनकर्ता का रंगीन पासपोर्ट साईज फोटो लगाते हुए व अंकित घोषणाओं के सम्बन्ध में 50 रु. के स्टाम्प पर नोटरी से सत्यापित शपथ पत्र देना होगा।

2. आवेदन पत्र के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज :-

- (i) शैक्षणिक योग्यता (स्नातक) संबंधी प्रमाण -पत्र की प्रमाणित प्रतियां।
- (ii) आरकेसीएल (आरएस-सीआईटी) कम्प्यूटर प्रशिक्षण का प्रमाण-पत्र। उक्त प्रमाण-पत्र नहीं होने की स्थिति में शपथ पत्र संलग्न करना होगा, जिसमें यह उल्लेख होगा कि दुकान आवंटन होने के अधिकतम 08 माह के भीतर आरकेसीएल (आरएस-सीआईटी) का 03 माह का आधारभूत प्रशिक्षण प्राप्त कर प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर दिया जाएगा।

Aw

कार्यालय जिला रसद अधिकारी, जालोर

- (iii) आवेदक सहकारी समिति/महिला स्वयं सहायता समूह/निकाय होने की स्थिति में उनके प्रबंधक/सचिव को कम्प्यूटर दक्षता एवं शैक्षणिक योग्यताओं को पूर्ण करना अनिवार्य होगा। इस बाबत प्रमाण-पत्र भी प्रस्तुत करने होंगे।
- (iv) आवेदक सहकारी समिति/महिला स्वयं सहायता समूह/ग्राम पंचायत होने की स्थिति में संबंधित बोर्ड की अभिशंषा का पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- (v) आवेदक द्वारा संबंधित तहसीलदार द्वारा जारी न्यूनतम 1,00,000/-रुपये का हैसियत प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जावेगा। महिला स्वयं सहायता समूह के लिए कार्यक्रम अधिकारी महिला अधिकारिता की अभिशंषा सहित समूह की वित्तीय हैसियत न्यूनतम 25 हजार रुपये होने संबंधी प्रमाण-पत्र की प्रति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा।
- समिति, जो कि सहकारी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत है, को, हैसियत प्रमाण पत्र के स्थान पर समूह की वित्तीय हैसियत के संबंध में उनकी अंशपूजी का विवरण, कार्यशील पूंजी का विवरण, वार्षिक कुल राशि का विवरण एवं विगत दो वित्तीय वर्ष व चालू वर्ष के बैंक खाते का स्टेटमेंट की प्रति मय सहायक पंजीयक/उप पंजीयक की यह अभिशंषा संलग्न करनी होगी कि समिति की वित्तीय हैसियत 1,00,000/-रुपये है और समिति की गत तीन संपरीक्षा (ऑडिट रिपोर्ट) में गंभीर अनियमितता नहीं है।
- (vi) सभी आवेदकों को दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र आवेदन के साथ संलग्न कर प्रस्तुत करने हैं, जो 06 माह से अधिक पुराने नहीं होने चाहिए।
- (vii) प्रत्येक आवेदक अथवा पदाधिकारी (महिला स्वयं सहायता समूह/ग्राम सेवा सहकारी समिति/लैम्स/दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति के मामले में) को अण्डरटेकिंग प्रस्तुत करनी होगी कि उसके घर में कार्यशील शौचालय (functional toilet) है। उक्त प्रावधान उचित मूल्य दुकान आवंटन के लिए अनिवार्य अर्हता होगी।
- (viii) प्रस्तावित दुकान का नक्शा दो प्रतियों में उपलब्ध करवाना होगा जो संबंधित क्षेत्रीय प्रवर्तन अधिकारी/निरीक्षक द्वारा संवीक्षा के समय प्रमाणित किया जायेगा।
- (ix) आवेदक द्वारा निम्न बिन्दुओं को अंकित करते हुए एक घोषणा पत्र दिया जायेगा :-
- आवेदक पूर्व में आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत दण्डित नहीं हुआ है।
 - आवेदक द्वारा दुकान का संचालन स्वयं किया जावेगा।
 - आवेदक के परिवार में किसी सदस्य यथा माता-पिता, पुत्र एवं पुत्री के नाम से पूर्व में कोई दुकान नहीं है।
 - आवेदक को विधिक रूप से अयोग्य घोषित नहीं किया गया है।
 - आवेदक बालिग एवं स्वस्थ चित्त है, चाल-चलन अच्छा है तथा कभी दिवालिया घोषित नहीं हुआ है।
 - आवेदक द्वारा दिनांक 01.01.2015 के बाद दो से अधिक संतान नहीं होने का स्पष्ट कथन किया जायेगा।
- (x) मूल निवास प्रमाण-पत्र की प्रमाणित प्रति।
- (xi) जाति प्रमाण-पत्र की प्रमाणित प्रति।
- (xii) आधार कार्ड की प्रमाणित प्रति।
- (xiii) राशन कार्ड की प्रमाणित प्रति।
- (xiv) मतदाता परिचय पत्र की प्रमाणित प्रति।

File

कार्यालय जिला रसद अधिकारी, जालोर

(xv) पासपोर्ट साईज के 03 नवीनतम रंगीन फोटो जिनमें से एक आवेदन पत्र पर चस्पा किया जायेगा एवं दो संलग्न किये जायेंगे।

3. चयन प्रक्रिया व प्राथमिकता :-

(i) जनजाति उपयोजना के अनुसूचित क्षेत्रों और बारां जिले की किशनगंज एवं शाहबाद तहसील क्षेत्रों में आरक्षण के क्रम में आवंटन सलाहकार समिति प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार कर अपनी अभिशंषा जिला कलक्टर को प्रस्तुत करेंगी। साक्षात्कार द्वारा आवेदकों के प्रार्थना पत्रों पर विचार के समय आवेदक के चयन के प्राथमिकता क्रम में आवंटन सलाहकार समिति द्वारा चयन प्रक्रिया निम्नानुसार अपनाई जायेगी -

- 1) दिव्यांग (बेरोजगार)
- 2) भूतपूर्व सैनिक (बेरोजगार)
- 3) अन्य पात्र (बेरोजगार)

(ii) महिला क्षैतिज आरक्षण के क्रम में आवंटन सलाहकार समिति प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार कर अपनी अभिशंषा जिला कलक्टर को प्रस्तुत करेंगी। साक्षात्कार द्वारा आवेदकों के प्रार्थना पत्रों पर विचार के समय आवेदक के चयन के प्राथमिकता क्रम में आवंटन सलाहकार समिति द्वारा चयन प्रक्रिया निम्नानुसार अपनाई जायेगी-

- 1) दिव्यांग महिला (बेरोजगार),
- 2) शहीद की विधवा (वीरांगना) (बेरोजगार)
- 3) विधवा (बेरोजगार),
- 4) परित्यक्ता (बेरोजगार),
- 5) भूतपूर्व सैनिक महिला (बेरोजगार),
- 6) अन्य पात्र महिला (बेरोजगार)

(iii) अनारक्षित वर्ग के क्रम में आवंटन सलाहकार समिति प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार कर अपनी अभिशंषा जिला कलक्टर को प्रस्तुत करेगी। साक्षात्कार द्वारा आवेदकों के प्रार्थना-पत्रों पर विचार के समय आवेदक के चयन के प्राथमिकता क्रम में आवंटन सलाहकार समिति द्वारा चयन प्रक्रिया निम्नानुसार दो चरणों में पूर्ण की जायेगी -

A. प्रथम वरीयता (संस्थागत) के अन्तर्गत निम्नलिखित प्राथमिकता क्रम के आधार पर चयन किया जावेगा-

- 1) ग्राम सेवा सहकारी समिति / लैम्पस (वृहत्तर क्षेत्रीय बहुउद्देशीय सहकारी समिति) / दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति, जो कि सहकारी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत है।
- 2) महिला स्वयं सहायता समूह, जो राज्य सरकार के महिला अधिकारिता विभाग से चयनित अथवा मान्यता प्राप्त है। आवेदक महिला स्वयं सहायता समूह को तीन वर्ष का कार्यानुभव हो।
- 3) ग्राम पंचायत / निगमित निकाय
 - आवेदक / समितियों / समूह / निकाय में सचिव / प्रबंधक का कम्प्यूटर दक्ष एवं शैक्षणिक योग्यताओं को पूर्ण करना अनिवार्य होगा। इस बाबत प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
 - यदि विज्ञापन किये जाने के पश्चात् प्रथम वरीयता में अंकित बिन्दु संख्या 01 से 03 के अंतर्गत एक ही आवेदन प्राप्त होता है, तो उसको प्राधिकार पत्र जारी किया जायेगा। इस श्रेणी के दो या दो से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होने पर ही आवंटन हेतु निर्धारित प्रक्रिया अपनाई जायेगी।

For

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला रसद अधिकारी, जालोर

- महिला स्वयं सहायता समूह के अनुभव के आंकलन के संबंध में निम्न आधार होंगे—
 - (i) समूह का गठन कम से कम तीन वर्ष पूर्व का हो।
 - (ii) समूह का कम से कम तीन वर्ष पूर्व बैंक में खाता खुला हो।
 - (iii) समूह के सदस्य तीन वर्षों से आंतरिक लेन-देन में संलग्न हो।
- B. द्वितीय वरीयता व्यक्तिगत (प्रथम वरीयता में आवेदन उपलब्ध नहीं होने पर)
 - (i) दिव्यांग (बेरोजगार)
 - (ii) भूतपूर्व सैनिक (बेरोजगार)
 - (iii) अन्य पात्र (बेरोजगार)
- दिव्यांग को स्वास्थ्य विभाग का प्रमाण पत्र या समाज कल्याण विभाग का प्रमाण पत्र, वीरांगना को सेना द्वारा जारी प्रमाण पत्र, विधवा व परित्यक्ता को सम्बन्धित विभाग का प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सैनिक/भूतपूर्व सैनिक महिला को सेना से डिस्चार्ज होने का प्रमाण पत्र तथा बेरोजगार को एम्प्लॉयमेंट एक्स्चेंज का पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करनी होगी।

4. अन्य प्रावधान –

- (xvi) द्वितीय वरीयता के अन्तर्गत चयनित उचित मूल्य दुकानदार की कार्य अवधि अधिकतम 60 वर्ष की आयु तक होगी।
- (xvii) सभी आवेदकों को दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र आवेदन के साथ संलग्न कर प्रस्तुत करने हैं, जो 06 माह से अधिक पुराने नहीं होने चाहिए।
- (xviii) प्रत्येक आवेदक अथवा पदाधिकारी (महिला स्वयं सहायता समूह/ग्राम सेवा सहकारी समिति/लैम्प्स/दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति के मामले में) को अण्डरटेकिंग प्रस्तुत करनी होगी कि उसके घर में कार्यशील शौचालय (functional toilet) है। उक्त प्रावधान उचित मूल्य दुकान आवंटन के लिए अनिवार्य अर्हता होगी।
- (xix) आवेदक द्वारा दी गई सूचनाएं गलत पाए जाने पर आवंटन रद्द करने का अधिकार सक्षम अधिकारी को होगा।

उपर्युक्त रिक्तियों एवं नवसृजित उचित मूल्य दुकानों के संबंध में खाद्य विभाग के पत्र क्रमांक एफ 17(1)खा.वि./विधि/08 दिनांक 17.03.2016, एफ.17(16)खा.वि./विधि(न्याय)/2011 दिनांक 26.12.2019 एवं क्रमांक एफ.17(5)खा.वि./न्याय/महि.आर./2019 दिनांक 25.11.2020 द्वारा जारी उचित मूल्य दुकान आवंटन के दिशा-निर्देशों में वर्णित चयन प्रक्रियानुसार कार्रवाई की जानी है। उचित मूल्य दुकानों के संबंध में विस्तृत जानकारी जिला रसद कार्यालय जालोर एवं विभागीय वेबसाइट www.food.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।

उक्त रिक्तियों की संख्या में कमी/बढोतरी/संशोधन विभाग द्वारा किया जा सकता है तथा रिक्तियों को भरने /न भरने के संबंध में विभाग का निर्णय सुरक्षित रहेगा।

Awk
16/06/25

(आलोक झरवाल)
जिला रसद अधिकारी
जालोर

दिनांक – 16/06/25

क्रमांक : रसद /FPS/विज्ञप्ति/2025/5865-88

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. श्री लुम्बाराम, माननीय सांसद महोदय, लोकसभा क्षेत्र जालोर-सिरोही।
2. श्री जोगेश्वर गर्ग, मुख्य सचेतक राजस्थान विधानसभा जालोर।

कार्यालय जिला रसद अधिकारी, जालोर

3. श्री रमेश राणा जिला प्रमुख, जिला परिषद जालोर।
4. श्री छगनसिंह पुरोहित, विधायक महोदय, आहोर।
5. श्री समरजीतसिंह, विधायक महोदय भीनमाल।
6. श्री रतन देवासी, विधायक महोदय रानीवाडा।
7. श्री जीवाराम, विधायक महोदय सांचोर।
8. श्रीमान् शासन सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राज.जयपुर।
9. श्रीमान् अतिरिक्त खाद्य आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राज.जयपुर।
10. श्रीमान् सम्भागीय आयुक्त महोदय संभाग जोधपुर।
11. श्रीमान् जिला कलक्टर जालोर।
12. श्रीमान् मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद जालोर।
13. श्रीमान् उपनिदेशक, जिला सूचना एवं प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, जालोर को भेजकर निवेदन है कि जिले की वेबसाइट..... पर अपलोड करावें।
14. श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी समस्त जिला जालोर।
15. श्रीमान् ए.सी.पी.(उपनिदेशक) को प्रेषित कर निवेदन है कि उक्त विज्ञप्ति को विभाग की वेबसाइट www.food.rajasthan.gov.in पर अपलोड करवाने का श्रम करावें।
16. श्रीमान् जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी, जालोर को भेजकर निवेदन है कि उक्त विज्ञप्ति निःशुल्क प्रकाशित करवाने की व्यवस्था करावे।
17. उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां जिला जालोर।
18. समस्त तहसीलदार, जिला जालोर।
19. आयुक्त नगरपरिषद जालोर।
20. समस्त विकास अधिकारी/प्रधान, पंचायत समिति/सरपंच, ग्राम पंचायत जिला जालोर।
21. अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका समस्त जिला जालोर।
22. समस्त प्रवर्तन अधिकारी/प्रवर्तन निरीक्षक जिला जालोर।
23. नोटिस बोर्ड, कार्यालय हाजा/जिला कलक्टर कार्यालय जालोर।

जिला रसद अधिकारी
जालोर